फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– निजाम अली पुत्र जमालखां –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :– 108/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए

13.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प भूम्बलिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–रामपुरा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 66 के ख.नं. 375, 376 व मौजा भूम्बलियां के खाता सं. 211 ख.नं. 338, 339, 365 में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम निजामखां पुत्र जमालखां दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में निजाम अली पुत्र जमालखां हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम निजामखां पुत्र जमालखां के स्थान पर निजाम अली पुत्र जमालखां शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रशासन गांवो के संग अभियान भूम्बलियां में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा–रामपुरा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 66 के ख.नं. 375, 376 व मौजा भूम्बलियां के खाता सं. 211 ख.नं. 338, 339, 365 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम निजामखां पुत्र जमालखां दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में निजाम अली पुत्र जमालखां दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम निजामखां पुत्र जमालखां के स्थान पर निजाम अली पुत्र जमालखां शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा–रामपुरा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 66 के ख.नं. 375, 376 व मौजा भूम्बलियां के खाता सं. 211 ख.नं. 338, 339, 365 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि निजामखां पुत्र जमालखां को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " निजाम अली पुत्र जमालखां " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरू[illegible] किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टि[illegible]त रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जै[illegible]को भेजक[illegible]लना मंगवाई जावें। [illegible] बाद तक[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

SDO
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)